

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 23

प्रकरण क्रमांक-SM-PRO-2023-01883

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "सुनीता पार्क फेस-1, (1) सुनीता डेव्हलपर्स, (2) सुनीता फिनलेस लिमिटेड, (3) श्री राकेश गुप्ता, पता-राजकुमार कॉलेज के सामने, चौबे कॉलोनी, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"सुनीता पार्क फेस-1" लाभांडी, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
28/08/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी से उनके निष्पादन प्रकरण क्रमांक-EXE-SM-PRO-2023-01883 के आदेश पत्र की छायाप्रति सहित प्राप्त, अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि 1,00,000/- को अनावेदक द्वारा दिनांक 19.03.2024 को जमा कर चालान की प्रति पेश करने के फलस्वरूप चालान की छायाप्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ।</p> <p>अतएव प्रकरण में अधिरोपित शास्ति राशि 1,00,000/- जमा किया जा चुका है । प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया ।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे ।</p> <p style="text-align: center;">सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	